न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आँगनवाड़ी वाद संख्या–65 / 2017
कविता कुमारी –बनाम– बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18.09.2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा आदेश ज्ञापांक 391 / जि0प्रो0 दिनांक 29.03.17 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी है, जो अभिलेख पर संधारित है। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस वाद में एक अन्तःक्षेपक महादेव यादव वकालतन उपस्थित हुए हैं जिनके आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि प्रश्नगत् वाद में निहित विषय आँगनवाड़ी केन्द्र संचालन में अनियमितता से संबंधित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 391 / जि0प्रो0 दिनांक 29.03.17 अभिलेख संधारित तथ्य के विपरीत पारित किया गया है। उक्त के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान के ज्ञापांक 175 दिनांक 31.05.2012 से अपीलार्थी का चयन आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–136 के आँगनवाड़ी सेविका पद पर हुआ है। विगत चार वर्षों में अपीलार्थी द्वारा सेविका पद के सभी दायित्वों को निर्वहन किया गया है। फलस्वरूप अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी लाभार्थी द्वारा कभी कोई शिकायत नहीं की गयी है। संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि वार्ड सदस्य एवं मुखिया द्वारा सतत् प्रश्नगत् आँगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा केन्द्र संचालन सही पाया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी के ग्रामीण महादेव यादव द्वारा आपसी विद्वेष के कारण आपत्ति आवेदन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल के समक्ष दायर किया गया। जिसके फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्य से भिन्न प्रतिवेदन समर्पित किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान द्वारा समर्पित गलत प्रतिवेदन पत्रांक 58 दिनांक 10.02.16 एवं पत्रांक 1594 दिनांक 14.11.16 क्रमशः के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध चयनमुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय पत्रांक 3064 / जि0प्रो0 दिनांक 30.12.16 से एक स्पष्टीकरण की पृच्छा की गयी। तदनुरूप अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.01.2017 को साक्ष्यधारित स्पष्टीकरण समर्पित की गयी। स्पष्टीकरण में समाहित तथ्यों की अनदेखी कर	

प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है। अतः प्रश्नगत् पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को आँगनवाड़ी सेविका पद पर पुर्नबहाल करने की कृपा की जाय।

अन्तःक्षेपक महादेव यादव के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता किये जाने के विरूद्ध बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान के पत्रांक 58 दिनांक 10.02.2016 से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा को चयनमुक्त करने का अनुसंशा किया गया था, लेकिन अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। क्रमवद्ध अवधि में अपीलार्थी द्वारा न तो पोषाहार वितरण किया जाता रहा और न ही पल्स–पोलियो एवं विविध कार्यों में सहयोग किया जाता था। उक्त अनियमितता के विरूद्ध एक आवेदन अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरोल के समक्ष दिया गया। लोक शिकायत निवारण के समक्ष बाल विकास परियोजना पदधिकारी के कार्यालय पत्रांक 366 दिनांक 11.11.2016 एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान के पत्रांक 1594 दिनांक 14.11.2016 से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जाँच क्रम में केन्द्र का बन्द होना, स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे लाभार्थी को किसी तरह का पोषाहार का वितरण नहीं करना, टीकाकरण एवं पल्स–पोलियो कार्यक्रम में भाग नहीं लेना, केन्द्र का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जाना आदि अनेक अनियमितता पायी गयी है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना पत्रांक 16 दिनांक 28.03.16 से लोक सूचना पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशेश्वरस्थान पूर्वी, सतीघाट का स्पष्ट कथन है कि सेविका श्रीमती कविता कुमारी कार्य दिवस पर अनुपस्थित रही हैं। उक्त के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 306 दिनांक 24.09.16 से अपीलार्थी को स्पष्टीकरण पूछा गया तथा उनके मानदेय को भी बन्द किया गया। अन्तःक्षेपक के विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल द्वारा उक्त सभी अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान को विधि सम्मत् निदेश दिये हैं कि अपीलार्थी को चयनमुक्त करने की अनुसंशा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा को भेजें। उक्त चयन मुक्ति के प्रस्ताव पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय पत्रांक 2977/जि0प्रो0 दिनांक 14.12.16 एवं पत्रांक 3064/जि0प्रो0 दिनांक 30.12.16 अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.01.17 को जवाब दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप के बिन्दु पर उनका स्पष्टीकरण भ्रामक एवं संबंधित पदाधिकारी पर आरोप प्रत्यारोप मात्र है। उक्त सभी तथ्यों की गहन समीक्षा एवं अपीलार्थी को समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के चयनमुक्ति के पश्चात् नये सिरे से उक्त आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–136 पर एक अन्य आँगनवाड़ी सेविका का चयन किया गया है,

जिनके द्वारा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश एक विधि सम्मत् आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान् सहायक सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख संधारित तथ्य मुख्यतः लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.16, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान के कार्यालय पत्रांक 336 दिनांक 11.11.16 एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान के कार्यालय पत्रांक 1594 दिनांक 14.11.16 आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता बरती गयी है। अतः विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

संबंधित पक्षकार के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान संबंधित मामले की स्थानीय जाँच दिनोंक 11.11.16 एवं 12.11.16 को स्वयं किये है। जाँच के क्रम में पाया गया है कि केन्द्र का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जाता है, पोषाहार का सही से वितरण नहीं किया जाता है तथा टीकाकरण एवं पल्स पोलियो कार्यक्रम में भाग नहीं लिया जाता है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.16 के सहज अवलोकन से स्पष्ट है कि समेकित जाँच प्रतिवेदन में स्पष्टतः यह तथ्य अंकित है कि समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–136 की सेविका कविता कुमारी द्वारा केन्द्र का संचालन/पोषाहार वितरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है एवं न ही पल्स पोलियो/ टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लिया जाता है, जो उनके कार्य के प्रति उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। साथ ही सेविका द्वारा पोषाहार वितरण में गबन की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता आदि। उपरोक्त साक्ष्यधारित कथन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश यथोचित प्रतीत होता है। अतः अपीलवाद अस्वीकृत।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

18/09/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।